केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463
भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :48 अंक 33 शनिवार 22 अगस्त 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

आदेश न मानने पर बिजली विभाग के दो अधिकारियों को तीन माह की सजा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने पर जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमर जीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय एवं उप खंड अधिकारी मानपुर को तीनमाह की सजा सुनाई है। आयोग ने प्रत्येक को 25,000 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उपभोक्ता अदालत के 35 साल के इतिहास में पहली बार किसी को सजा सुनाई गई है। भानपुर निवासी मानवेंद्र सिंह ने संजीव कुमार भट्टाचार्य एडवोकेट के माध्यम से उपभोक्ता अदालत में 2024 में मुकदमा दाखिल किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार वह राहुल आटो मोबाइल का प्रोपराइटर है,और इस फर्म के लिए कनेक्शन ले रखा था, जिसके मीटर और बिल दोनों में खराबी आने पर 9 जनवरी 2024 को शिकायतकर्ता ने विभाग में शिकायत की।

तीन महीने का बिल 59,000 रुपये भेजा गया। उसे भी जमा कर दिया। उसके बाद में मई का बिल 8566 रुपये आया। शिकायतकर्ता ने पोर्टल पर शिकायत की, तो बकाया बिल 62,143 दिखने लगा। तब विवश होकर के अदालत में मुकदमा दाखिल किया। दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद अदालत ने अपने आदेश एक जनवरी 2026 के द्वारा अप्रैल 2024 के बाद के सभी बिल निरस्त कर दिया और विद्युत विभाग पर 1,20,000 रुपये हर्जाना लगाया। 45 दिन के अंदर अदालत ने आदेश का अनुपालन करने के लिए कहा।

सीएमओ ने किया निरीक्षण, बंद मिली एक्सरे मशीन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

सिद्धार्थनगर। मिठवल ब्लॉक स्थित तिलौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार दोहरे ने औचक निरीक्षण किया। किसान नेता की शिकायत पर पहुंचे सीएमओ ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एक्स–रे मशीन तकनीकी खराबी के चलते बंद मिली, जबकि अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने में भी देरी का मामला सामने आया।

सीएमओ ने अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले उपस्थिति रजिस्टर की जांच की और कर्मचारियों की उपस्थिति की जानकारी ली। इसके बाद एक्स–रे कक्ष का निरीक्षण किया गया। जांच में एक्स–रे मशीन खराब पाई गई। मशीन बंद होने से मरीजों को जांच के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इसके बाद सीएमओ ने जन्म प्रमाणपत्र शाखा का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अभिलेखों और लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। शिकायत थी कि सीएचसी में जन्म लेने वाले कई बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र समय से जारी नहीं हो रहे हैं, जिससे अभिभावकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ ने अस्पताल के प्रभारी चिकित्साधिकारी से जवाब–तलब किया। उन्होंने निर्देश दिया कि मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी न हो तथा लंबित जन्म प्रमाणपत्रों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार दोहरे ने कहा कि एक्स–रे मशीन की खराबी और जन्म प्रमाणपत्रों के लंबित होने का मामला संज्ञान में आया है। मशीन को जल्द दुरुस्त कराने तथा लंबित प्रमाणपत्रों का शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किसान नेता की शिकायत के बाद हुए सीएमओ के औचक निरीक्षण से अस्पताल में हड़कंप की स्थिति रही। अब निगाह इस बात पर है कि एक्स–रे मशीन कब तक दुरुस्त होती है और लंबित जन्म प्रमाणपत्रों का निस्तारण कितनी जल्दी किया जाता है।

राहुल गांधी के धरने के बाद झुकी दिल्ली पुलिस, पैलेट गन केस में मुकदमा दर्ज

नई दिल्ली (आभा)। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की जिद के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार पैलेट गन केस मामले में पीड़ित साहिल लोचब की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सीनियर पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को जंतर–मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में किसी को भी नामजद नहीं किया गया है। यानी अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने पर राहुल गांधी ने इसे सत्य की जीत बताया है और कहा है कि

न्याय की ओर यह पहला कदम है।

इससे पहले राहुल गांधी साहिल लोचब, उनके परिवार के सदस्यों और वकीलों के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचे और मामले में प्राथमिकी दर्ज करने तथा पुलिस से जांच अधिकारी (आईओ) का नंबर उपलब्ध कराने की मांग भी की। उनकी मांग थी कि जब तक 19 वर्षीय साहिल लोचब नाम के छात्र पर हुए पैलेट गन इस्तेमाल मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हो जाती, वह वहां से नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है और उनके पास इसके पुख्ता प्रमाण हैं इसलिए इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

गांधी ने शुक्रवार को संसद भवन थाने में बहन प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं के साथ धरना भी दिया। डीसीपी कार्यालय के सामने उनके धरने में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी , जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, कुमारी सैलजा, वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और कई अन्य नेता शामिल हुए। धरना शुरू होने के बाद संसद मार्ग थाने के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की।

20 बड़ी परियोजनाओं को मिली मंजूरी

लखनऊ (आभा)। यूपी के शहरों को अब और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। जरूरत के आधार पर आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी और व्यवसायिक कांप्लेक्स बनाए जाएंगे। निजी क्षेत्रों के लिए आफिस बना कर दिए जाएंगे। पहले चरण में लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर व वाराणसी शहरों की 20 बड़ी परियोजनाएं ली गई हैं। इन पर 7452 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये सभी काम केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए अर्बन चैलेंज फंड से कराए जाएंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अटेवा ने निकाली तिरंगा यात्राः प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। आल टीचर्स एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (अटेवा) के प्रान्तीय आवाहन पर शुक्रवार को जिले भर के शिक्षकों, कर्मचारियों ने तिरंगा यात्रा निकाल कर पुरानी पेंशन बहाल किए जाने,टेट अनिवार्यता खत्म करने और निजीकरण बंद करने की मांग किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को 3 सूत्रीय ज्ञापन भेजकर समस्या के निस्तारण की मांग किया गया।

तिरंगा यात्रा की अगुवाई कर रहे अटेवा के जिला संयोजक तौआब अली ने कहा कि शेयर बाजार आधारित नई पेंशन स्कीम शिक्षकों कर्मचारियों के लिए कत्तई ठीक नहीं है इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करे। बताया कि अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के शिक्षक कर्मचारी 25 सितम्बर को लखनऊ में आन्दोलन के लिए बाध्य होंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

मंडलीय महामंत्री दीपक सिंह प्रेमी, जिला महामंत्री कैलाश नाथ और मण्डलीय आय व्यय निरीक्षक डॉ. कमलेश चौधरी ने सयुक्त रूप से कहा कि आरटीई एक्ट लागू होने से पूर्व के शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता का संगठन विरोध करता है यदि जल्द ही सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो संगठन विरोध प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा।

जिला कोषाध्यक्ष अमर चंद,जिला उपाध्यक्ष राहुल उपाध्याय,जितेंद्र वरुण,सुनील मौर्य,अमरनाथ,राकेश सिंह,जिला प्रवक्ता विनोद प्रकाश वर्मा, आई टी सेल प्रभारी मनीष मिश्रा,मीडिया प्रभारी नीरज वर्मा,सहित सभी जिला पदाधिकारियों ने एक स्वर में सरकारी संस्थाओं के निजीकरण का विरोध किया।

अटेवा के तिरंगा यात्रा को समर्थन दे रहे माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेशीय कोषाध्यक्ष बिजेन्द्र वर्मा, प्रदेशीय मंत्री धुव नारायण, जिलाध्यक्ष अजय कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि हर संघर्ष में उनका संघ अटेवा के साथ खड़ा है।

अटेवा के इस तिरंगा यात्रा में अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल, टीएससीटी के जिलाध्यक्ष प्रमोद ओझा, पीडब्ल्यूडी वर्क चार्ज संघ के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार,सहित दर्जनों संघों के अध्यक्ष एवं उनके पदाधिकारी शामिल हुए।

कार्यक्रम में संजय यादव, सुखराज गुप्ता,अर्जुन प्रसाद,अवधेश कुमार,पप्पू सक्सेना, राकेश कुमार मिश्रा,लालजी वर्मा,महेंद्र पेटल, सतीश शंकर शुक्ल, रीता शुक्ला, नरेन्द्र दूबे, प्रदीप मिश्र,प्रवेश चौधरी अजीत वर्मा,संतोष यादव,प्रमोद कुमार वर्मा, मोहम्मद सलाम, जावेद इकबाल वीरेंद्र चौधरी,राजेश आर्य, संतोष कुमार, डॉ सत्यप्रकाश मौर्य,बाबू राम वर्मा,अनिरुद्ध वर्मा, डॉ श्रवण गुप्ता,हरि सिंह, सुनील पाण्डेय,जनार्दन शुक्ल,सूर्य प्रकाश शुक्ल, राघवेन्द्र प्रताप सहित अनेक शिक्षक कर्मचारी शामिल रहे।

आत्मनिर्भर बनें महिलाएं, समरस समाज का हो निर्माण — अजय सिंह

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। हर्रैया क्षेत्र में शुक्रवार को विधायक अजय सिंह ने विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर महिलाओं के आत्मनिर्भरता के साथ सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। खुशहालगंज में उन्होंने शुभ प्रेरणा मॉडल कैंटीन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने कैंटीन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और संचालकों को शुभकामनाएं दीं। विधायक ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। शुभ प्रेरणा मॉडल कैंटीन जैसी पहल महिलाओं को अपने हुनर को रोजगार में बदलने

का बेहतर अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कैंटीन में स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री और बेहतर ग्राहक सेवा पर विशेष ध्यान देने की बात कही।

इसके बाद विधायक संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के तहत आयोजित कलश वंदन यात्रा के कार्यक्रमों में शामिल हुए। बरसांव, पूरेओरीराय सहित विभिन्न गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में उन्होंने संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर नमन किया।

विधायक ने कहा कि संत रविदास ने समाज को समानता, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उनके विचार आज भी समाज को एकजुट करने और आपसी सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास के बताए मार्ग पर चलकर ही समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं ने उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उपायुक्त स्वतः रोजगार आशा देवी, बीडीओ धीरज प्रसाद, ब्लॉक मिशन अधिकारी डॉ. पवन तिवारी, जिला मिशन प्रबंधक मारुतेंद्र, कपिल, सोनी सिंह, सीता, शशि, पुनिता, कांति सिंह, दुबीलिया प्रशासक प्रतिनिधि अनिल सिंह, भाजपा नेता श्रीराम सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

मेरा स्वास्थ्य, मेरी जिम्मेदारी में एचआईवी, एड्स मरीजों को दिया कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिला चिकित्सालय के सभागार में "मेरा स्वास्थ्य, मेरी जिम्मेदारी" अभियान के तहत उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ के सहयोग से दो दिवसीय सामाजिक सुरक्षा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर का आयोजन प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के निर्देशन तथा नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य एचआईवी, एड्स के साथ जीवन यापन कर रहे लोगों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना तथा पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करना रहा।

ज्योत्सना गुप्ता, काउंसलर, एआरटी सेंटर, बस्ती ने शिविर का संचालन किया। उन्होंने उपस्थित एचआईवी/एड्स के साथ जीवन यापन कर रहे लोगों एवं उनके परिजनों को एचआईवी/एड्स से संबंधित आवश्यक जानकारी देने के साथ–साथ उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं सरकारी सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया तथा पात्र

लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

कैंप के दौरान अखिलेश सिंह, क्लस्टर प्रोग्राम मैनेजर ने एचआईवी/एड्स अधिनियम, संक्रमित व्यक्तियों के अधिकारों तथा सामाजिक सुरक्षा के संबंध में अपने विचार रखे।

ग्रामीण विकास सेवा समिति के सचिव अम्बुज कुमार यादव ने एचआईवी के साथ जीवन यापन कर रहे लोगों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का आग्रह किया।

महिला कल्याण विभाग की जिला मिशन कोऑर्डिनेटर साधना अग्रहरि ने विभागीय योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बच्चों की शिक्षा के लिए उपलब्ध सहयोग, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया।

जिला चिकित्सालय अधीक्षक डा. अनिल कुमार प्रजापति ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। कमलेश शुक्ला, समाज कल्याण विभाग ने अपने संबोधन में कहा कि एचआईवी/एड्स के साथ जीवन यापन कर रहे लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

श्रम विभाग अधिकारी ने उपस्थित लोगों को श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी दी। उद्योग विभाग से अर्जुन गौतम ने उपस्थित लोगों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रवक्ता कौशल किशोर श्रीवास्तव ने एचआईवी/एड्स अधिनियम के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

नोडल डॉक्टर महेश शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि एचआईवी/एड्स के साथ जीवन यापन कर रहे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना हम सभी की जिम्मेदारी है।

उपस्थित लाभार्थियों ने भी अपनी समस्याओं एवं अनुभवों को साझा किया। संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों द्वारा लाभार्थियों की समस्याओं को सुना गया तथा मौके पर आवश्यक मार्गदर्शन एवं समाधान उपलब्ध कराया गया। शिविर के दौरान 50 से अधिक लाभार्थियों की समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया।

मुण्डेरवा में युवक ने थानाध्यक्ष पर लगाया मारपीट का आरोप, डीआईजी से की कार्रवाई की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मुंडेरवा थाना क्षेत्र के सण्डा गांव निवासी एक युवक ने थानाध्यक्ष और पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक और डीआईजी को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि उसे थाने में ले जाकर बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।

सण्डा गांव निवासी अखिलेश पाण्डेय पुत्र लक्ष्मीशंकर पाण्डेय ने पुलिस अधीक्षक और डीआईजी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि 14 अगस्त 2026 की रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच घर में कुछ घरेलू बातों को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान उसकी पत्नी ने अपने भाई को बुला लिया। आरोप है कि पत्नी के भाई ने स्थानीय थाने पर सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस उसके घर पहुंच गई। अखिलेश का आरोप है कि पुलिस उसे अपने साथ थाने ले गई, जबकि उस समय उसका सात वर्षीय

बेटा भी उसके साथ था। शिकायत के अनुसार थाने में उससे पूछताछ के नाम पर मारपीट की गई। उसने आरोप लगाया है कि थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मियों ने बेल्ट व जूतों से उसकी पिटाई की, जिससे उसके शरीर पर कई जगह चोटें आईं।

प्रार्थना पत्र में अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान वह कई बार बेहोश हुआ। उसका कहना है कि अगले दिन उसकी हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज हुआ। उसने दावा किया है कि उसके पैर के अंगूठे में भी गंभीर चोट आई और शरीर पर कई स्थानों पर चोट के निशान मौजूद हैं।

पीड़ित ने अपने आवेदन में कहा है कि घटना के बाद वह शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान है। उसका आरोप है कि अब उसे और उसके परिवार को मुकदमे में फंसाने तथा अन्य प्रकार की धमकियां भी मिल रही हैं, जिससे परिवार में भय का माहौल है। अखिलेश पाण्डेय ने पुलिस अधीक्षक और डीआईजी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की भी अपील की है।

फिलहाल मामले में पुलिस विभाग की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामा के नेतृत्व में 25 दिनों तक चले युवा संवाद का भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया समापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। युवाओं को शिक्षा, संस्कार, राष्ट्रप्रेम, सामाजिक एकता, अखंडता और राष्ट्र के प्रति उनके दायित्वों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भाजपा नेता एवं समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय 'सुदामा' के नेतृत्व में हर्रैया विधानसभा क्षेत्र में लगातार 25 दिनों तक चले युवा संवाद अभियान का शुक्रवार को भव्य समापन हुआ। अभियान के अंतिम दिन विक्रमजोत एवं छावनी क्षेत्र के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में छात्र–छात्राओं से संवाद किया गया।

अभियान के 25वें दिन विक्रम पब्लिक स्कूल विक्रमजोत, बालगोविंद गंगा प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विक्रमजोत, बाल्मीकि इंटर कॉलेज विक्रमजोत, लतीफिया इंटर कॉलेज छावनी तथा रामक्षत्तर यादव इंटर कॉलेज महाखारपुर में छात्र–छात्राओं से संवाद करते हुए उन्हें शिक्षा के साथ संस्कार, राष्ट्रप्रेम, एकता एवं अखंडता का संदेश दिया गया।

समापन कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने कहा कि "हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा। हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने का कोई भी कुत्सित प्रयास सफल नहीं होगा।" उन्होंने कहा कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में एकता और सामाजिक समरसता में निहित है। देश के युवाओं को किसी भी प्रकार के विभाजनकारी प्रयासों से सावधान रहते हुए राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।

उन्होंने नवयुवकों से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री जी के "एक रहोगे तो सेफ रहोगे" तथा मुख्यमंत्री जी के "बंटोगे तो कटोगे" के मूल मंत्र को आत्मसात करें। उन्होंने कहा कि मजबूत और विकसित भारत के निर्माण के लिए युवा शक्ति का संगठित, संस्कारित और राष्ट्रनिष्ठ होना आवश्यक है।

भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामा ने बताया कि 25 दिनों तक चले इस अभियान में क्षेत्र के स्कूलों, इंटर कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों और डिजिटल लाइब्रेरी में छात्र–छात्राओं से संवाद किया गया। अभियान के दौरान कुल 60 शिक्षण संस्थानों में करीब 50 हजार छात्र–छात्राओं तक पहुंचकर उनसे सीधा संवाद स्थापित किया गया।

उन्होंने युवाओं से कहा कि उन्हें सरकार की योजनाओं और उपलब्ध अवसरों की जानकारी लेकर उनका लाभ उठाना चाहिए और अपनी प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना चाहिए।

इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र–छात्राओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रामक्षत्तर यादव, रमेश यादव, अमर यादव, राम बहोर गुप्ता, जुबेर अहमद, सरफराज अहमद, विजय पाण्डेय, दिलीप तिवारी, शिवम पाण्डेय, कृष्ण चन्द्र सिंह, संतोष द्विवेदी, मुकेश पाण्डेय तथा राजीव पाण्डेय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

मकान बेचने के नाम पर 1.90 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मकान बेचने के नाम पर एक करोड़ 90 लाख रुपये लेने और बाद में रजिस्ट्री से इनकार करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मामले में रत्नाकर श्रीवास्तव और उनकी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव को आरोपी बनाया गया है। पीड़ित दिव्यांशु खरे ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

दिव्यांशु खरे के मुताबिक वह चित्रांश इंटरप्राइजेज फर्म के प्रोपराइटर हैं और व्यवसाय के सिलसिले में उनकी रत्नाकर श्रीवास्तव से मित्रता हुई थी। दोनों के बीच वर्ष 2021 से ऑनलाइन रुपये का लेनदेन भी होता रहा। इसी व्यावसायिक संबंध के चलते पीड़ित का आरोप है कि उसे रत्नाकर और उनकी पत्नी पर भरोसा हो गया।

आरोप है कि रत्नाकर श्रीवास्तव ने अपना दो मंजिला मकान बेचने की पेशकश की और इसकी कीमत 2.50 करोड़ रुपये तय हुई। अगस्त 2025 में बैनामा करने की बात कही गई। इस दौरान अनुभव श्रीवास्तव और सूरज श्रीवास्तव के मौजूद रहने का भी दावा किया गया है। पीड़ित के अनुसार मकान के स्वामित्व से संबंधित नगर पालिका का एसेसमेंट प्रपत्र भी दिखाया गया, जिसमें रत्नाकर श्रीवास्तव का नाम दर्ज बताया गया।

शिकायत के अनुसार, एसेसमेंट प्रपत्र पर भरोसा करते हुए पीड़ित और उसके चाचा के बैंक खातों से अलग–अलग किस्तों में 15 जुलाई 2025 तक कुल एक करोड़ 90 लाख रुपये रत्नाकर श्रीवास्तव और उनकी पत्नी के बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए। इसके बाद मकान की रजिस्ट्री करने में टालमटोल शुरू हो गई।

पीड़ित का कहना है कि संदेह होने पर नगर पालिका परिषद से दस्तावेज की तस्दीक कराई गई। इसमें कथित तौर पर मकान रत्नाकर श्रीवास्तव की मां कृष्ण मोहनी के नाम दर्ज मिला। इसके बाद पीड़ित ने आरोपियों से रकम वापस करने की मांग की, लेकिन रकम वापस नहीं की गई।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि 9 नवंबर 2025 को शाम करीब छह बजे पीड़ित अपने मित्र अनुभव श्रीवास्तव और सूरज श्रीवास्तव के साथ आरोपियों के घर गया था। वहां रकम वापस मांगने पर गाली–गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

पीड़ित के मुताबिक उसने मामले में कोतवाली पुलिस और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 10 मार्च 2026 को पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्री के जरिए भी शिकायत भेजी गई। कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती ने 17 अगस्त 2026 को धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष कोतवाली को मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधि के अनुसार विवेचना कराने और सात दिन के भीतर न्यायालय को कार्रवाई से अवगत कराने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में 18 अगस्त को इसकी प्रति कोतवाली भेजी गई। पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। शिकायत में आरोपियों पर कूटरचित दस्तावेज के जरिए विश्वास कायम कर धोखाड़ी से रकम हासिल करने और उसे हड़पने का आरोप लगाया गया है। पुलिस की विवेचना में दस्तावेजों, बैंक खातों में हुए लेनदेन और मकान के वास्तविक स्वामित्व समेत अन्य तथ्यों की जांच की जाएगी।

“मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता”–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक भारतीय बस्ती
बस्ती 22 अगस्त 2026 शनिवार

सम्पादकीय

गिरता जन्म दर और सामजिक ढ़ाचा

तकरीबन 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में इस समय विश्व की सबसे ज्यादा युवा आबादी है, जो कुल जनसंख्या का लगभग पैंसठ फीसद है। नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक, भारत में 15 से 16 फीसद कमाऊ एवं युवा आबादी के पास रोजगार नहीं है। यानी इस समय देश की 36.7 करोड़ युवा आबादी अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान देने के लिए तैयार है, लेकिन विडंबना यह है कि यहां सबके लिए काम ही नहीं है। इस समय देश में डेढ़ से ढाई करोड़ युवा बेरोजगार हैं और इनमें भी पढ़े–लिखे युवाओं की आबादी ज्यादा है।

सीधे तौर पर कहा जाए, तो वर्तमान में युवा आबादी भी अर्थव्यवस्था में या तो लागत या फिर औसत गुजारे का ही योगदान दे पा रही है। ऐसे में यह सवाल चिंता पैदा करता है कि पच्चीस से तीस साल बाद की तस्वीर क्या होगी? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की 'इंडिया एजिंग रिपोर्ट–2023' के मुताबिक, वर्ष 2022 में साठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 14.9 करोड़ थी, जो 2050 तक बढ़कर 34.7 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यानी पच्चीस साल बाद पांच में से हर एक भारतीय बूढ़ा होगा। साफ है कि विकसित अर्थव्यवस्था के पायदान पर पहुंचने से पहले ही भारत की गिनती बूढ़े देशों में होने लगेगी।

बच्चे और बूढ़े अर्थव्यवस्था पर निर्भर एक ऐसी आबादी है, जिसका बोझ उठाना सरकार और परिवार दोनों की मजबूरी है। बच्चे भविष्य का निवेश हैं, जिनके आने वाले समय में आय में तब्दील होने की उम्मीद है, जबकि बुजुर्ग आबादी केवल बचत का खर्च है। मगर ऐसा सोचकर बुढ़ापे की निर्भरता को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। भविष्य की तैयारी करके इस चुनौती को गंभीर समस्या बनने से रोका जा सकता है।

केंद्र सरकार बजट का लगभग अठारह फीसद हिस्सा स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण पर खर्च करती है। इसमें से बुजुर्गों से जुड़ी योजनाओं के हिस्से केवल 0.15–0.20 फीसद रकम ही आती है। सरकारी खजाने से 6,645 करोड़ रुपए वृद्धावस्था पेंशन पर खर्च होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को दिए जाते हैं। यह राशि दिखने में भले ही बड़ी लगती है, लेकिन केंद्र की तरफ से प्रति व्यक्ति बुजुर्ग पेंशन के जरिए 200 से 500 रुपए की मामूली सहायता ही मिल पाती है, जिसमें राज्य अपने बजट का बड़ा हिस्सा जोड़कर इसे दो हजार से तीन हजार रुपए तक तय करते हैं। मगर मौजूदा हालात में इतनी कम राशि की मासिक पेंशन के भरोसे क्या गुजारा संभव है?

हालांकि सरकारी बजट पर बुजुर्गों की देखरेख एवं कल्याण के लिए स्वास्थ्य सेवाओं, बीमा और बचत योजनाओं का भी दबाव है। भोजन, आश्रय और चिकित्सा की संयुक्त योजनाओं के अलावा शारीरिक सहायता एवं बुजुर्गों के लिए जीवनयापन में सहायक जरूरी सामान भी सरकार वृद्धों को मुफ्त मुहैया कराती है। अलग–अलग योजनाओं पर सालाना हजारों करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च होते हैं।

हालांकि अर्थशास्त्री और नीति–विशेषज्ञ इसे खर्च नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का निवेश मानते हैं, जिसमें पैसा घूमकर खर्च या निवेश के रूप में वापस अर्थव्यवस्था में लौट आता है। मगर यह भी सच है कि सरकारी नीतियों के कागजों से जमीन पर उतरने में कई तरह के रोड़े हैं और योजनाओं की इस चमचमाती तस्वीर से अक्सर अपने घरों की दहलीज पर भूखे, अकेले और बीमार बैठे बुजुर्ग गायब रहते हैं। सरकारी मदद की या तो उन्हें जानकारी ही नहीं होती या फिर इस तक पहुंचना उनके लिए संभव नहीं हो पाता।

एक और दिलचस्प बात यह है कि देश का मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो सबसे ज्यादा कर का बोझ उठाता है। वेतनभोगी और व्यापारिक मध्य वर्ग अपनी कुल आय का लगभग बीस से 45 फीसद विभिन्न तरह के कर के रूप में चुकाता है। इसके बावजूद इस वर्ग को सीधे तौर पर सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा या निश्चित बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलती। चूंकि यह वर्ग सरकारी मानदंडों में मजबूर, गरीब और निचले तबके में नहीं आता, तो इसे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी सहारा नहीं मिलता। यानी इसे अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता खुद ही करनी होती है।

अब सवाल यह है कि इस असुरक्षा का दबाव क्या आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा? यह भी एक बड़ी समस्या है कि देश में प्रजनन दर बहुत तेजी से गिर रही है, क्योंकि कामकाजी होती युवा पीढ़ी में बच्चे पैदा न करने या सिर्फ एक बच्चे तक ही सीमित रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस समय देश में कुल प्रजनन दर 1.9 फीसद है, जोकि जनसंख्या के स्थिर संतुलन के आंकड़े 2.1 फीसद से काफी कम है।

प्रजनन दर में गिरावट की शुरुआत वर्ष 1970 के मध्य से ही शुरू हो गई थी, इसमें सबसे ज्यादा तेजी 1990 से 2000 के बीच दर्ज की गई। जो प्रजनन दर वर्ष 1991 में 3.6 फीसद थी, वह 2001 आते–आते 3.1 फीसद रह गई। वर्ष 2001 से लेकर अब तक प्रजनन दर में तेज गिरावट दर्ज की गई है। इस समय देश में प्रजनन दर इतिहास के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। यानी वर्ष 1970 में औसतन एक महिला के पांच से अधिक बच्चे होते थे, मगर वर्तमान में यह औसत दो बच्चों से भी कम रह गई है। जबकि आजादी के समय प्रजनन दर अपने उच्चतम स्तर 6.18 फीसद पर थी।

दिल्ली, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जन्म दर विकसित देशों जितनी कम हो चुकी है। इससे आने वाले समय में मानव कार्यबल में भारी कमी और क्षेत्रीय असमानता का खतरा पैदा होगा। देश में सरकारी योजनाओं का आधार बनने वाली नई जनगणना कई मायनों में खास होगी, जो भविष्य की रूपरेखा तैयार करेगी। इस बीच बचपन और बुढ़ापे का बिगड़ता आंकड़ा चर्चा नहीं, बल्कि संतुलन की जरूरत बता रहा है। अगर इस चुनौती पर अभी से काम शुरू नहीं किया गया, तो भविष्य के युवा कंधे इसका बोझ नहीं उठा पाएंगे।

लोकतंत्र में शैक्षणिक आजादी के निहितार्थ

—अविजित पाठक—

देश में शैक्षणिक आजादी का लगातार कमजोर होना चिंताजनक है। राजनीतिक दबाव, सत्ता को रास आने वाली विश्वविद्यालयी व्यवस्था और शिक्षाविदों की चुप्पी इसके संकेत हैं। इस प्रवृत्ति ने आलोचनात्मक सोच को हानि पहुंचायी। दरअसल, अकादमिक आजादी के क्षरण से लोकतंत्र भी कमजोर होता है। जब मैंने हालिया वी–डेम एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स (शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक) को देखा, तो मुझे झटका तो लगा, लेकिन कोई ज्यादा हैरानी भी नहीं हुई। झटका इसलिए लगा कि शैक्षणिक स्वतंत्रता के मामले में 179 देशों में भारत का स्थान निचले 10–20 प्रतिशत देशों में है। मेरा दुख और बेचौनी इसलिए और बढ़ गई कि 1990 के बाद से भारत की स्थिति अब तक की सबसे खराब है, यहां तक कि 1975–1977 के आपातकाल के दौर से भी नीचे है।

तथापि, दो कारणों से मुझे हैरानी नहीं होती। पहला, मुझे लगता है कि हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्वतंत्रता की भावना की उम्मीद करना बहुत भोलापन होगा, खासकर ऐसे समय में जब राजनीतिक–सांस्कृतिक व्यवस्था, अपनी कथित दकियानूसी और संभावित रूप से तानाशाही वाली प्रकृति के कारण, स्वतंत्र सोच के प्रकाश से असहज बनी हुई हो। दरअसल, ताकत का विरोधाभास यही है रू आप जितने अधिक शक्तिशाली होते हैं, उतने ही अधिक डरपोक भी होते जाते हैं। यह असहमति का डर हैय यह एक वैकल्पिक नजरिए का डर हैय और यह आलोचनात्मक सोच का डर है जो शक्तिशाली सत्ताधारी शासन, या उसके श्सर्वोच्चश नेता की सावधानीपूर्वक बनाई गई भव्य छवि को बिगाड़ सकती है।

यह भय संक्रामक है। जहां एक ओर यह उस होनहार प्रोफेसर से डरता है जो अपनी पढ़ाई और लेखन के जरिए पितृसत्तात्मक समाज, महिलाओं के प्रति नफरत और अति–पुरुषवादी धार्मिक राष्ट्रवाद पर सवाल उठाता है, वहीं दूसरी ओर यह 19 साल के कॉलेज छात्र को भी नहीं बख्शता, मसलन, जो राजसत्ता द्वारा फैलाई धारणा से परे हटकर उमर खालिद की प्रतिभा को समझना चाहता है, या स्टेन स्वामी और प्रो. जी.एन. साईबाबा जैसे लोगों के संघर्षों और उपलब्धियों के बारे में जानना चाहता है।

वहीं इस डर की तीव्रता की कल्पना कीजिए– जिस तरह हमारे राजनीतिक तौर पर नियुक्त कुछ कुलपति सत्ताधारी शासन को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और इस तरह विश्वविद्यालय के उस मूल विचार को ही कमजोर कर देते हैं जो कई ज्ञान–परंपराओं के मिलन का केंद्र होता है।

तो क्या हैरानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में,एक अन्य प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति ने कुछ जाने–माने समाज–वैज्ञानिकों का उपहास करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की, क्योंकि उन्होंने बताए जा रहे श्तथ्यों' के क्रम को उलट–पलट दिया था? शायद, भारतीय ज्ञान प्रणाली की श्रेष्ठता में उनके अटूट विश्वास ने ही उन्हें आधुनिक नारीवादियों के समूह को 'सुधारने' के लिए प्रेरित किया ! संदेश साफ है। 'भारतीय ज्ञान प्रणालीश के नाम पर होने वाली हर चीज का महिमामंडन करें, और आलोचनात्मक सोच की भावना को कार्ल मार्क्स, ज्यां–पॉल सार्त्र और मिशेल फूको जैसे लोगों से उधार लिया गया महज एक श्पश्चिमीश विचार बताकर कमतर आंकें!

दूसरी बात, यह अहसास होना भी उतना ही जरूरी है कि वे चतुर शिक्षाविद जो अक्सर 'मूल्य–तटस्थता' के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं और चुप रहना पसंद करते हैं, वे भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। वे भी अकादमिक स्वतंत्रता की भावना को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें कब समझ आएगा कि 'तटस्थता' की यह बात महज एक भ्रम है? भ्रामक प्रचार मशीनरी के इस दौर में, हम अज्ञानता को हथियार बनते देख रहे हैं। हम जबरदस्ती वाले राष्ट्रवाद का बदसूरत रूप देख रहे हैं सार्वजनिक जीवन में शालीनता और बातचीत की संस्कृति का लगातार पतन होता हम अनुभव कर रहे हैं। ऐसे हालात में कोई श्तटस्थश कैसे रह सकता है? असल में, यह तथाकथित श्तटस्थताश अनिवार्य रूप से यथास्थिति को मंजूरी देने जैसी है। अगर आप श्तटस्थश और चुप रहते हैं, जबकि आपके साथी अपने किसी लेक्चर और लेखन की वजह से परेशान, अपमानित और निलंबित किए जाते हैं, तो आप न सिर्फ एक शिक्षाविद् के तौर पर नाकाम हो जाते हैं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर भी विफल हो रहे होते हैंय और आखघ्रिकार, आप उन्हीं ताकतों को मजबूत करते हैं जिन्हें स्वतंत्र जांच–पड़ताल की भावना से नफरत है। यह अच्छा होगा अगर भौतिकी और रसायन शास्त्र के प्रोफेसर भी अपनी श्मूल्य–तटस्थश और सुरक्षित लैब से बाहर निकलें और यह समझें कि अकादमिक स्वतंत्रता के बिना विज्ञान भी तरक्की नहीं कर सकता। इसे स्वीकार करना होगा। अकादमिक आजादी खत्म होने से पूरे देश के सांस्कृतिक ताने–बाने को भारी नुकसान होगा। अगर हम बहस करने, संवाद और आजाद सोच–विचार की संस्कृति खोते रहे, तो हमारा लोकतंत्र एक तरह से सिर्फ चुनावों के जरिए चलने वाली तानाशाही बनकर रह सकता है। लोकतंत्र का भविष्य लोगों की सोचने और संसद में भेजे गए नेताओं से सवाल पूछने की क्षमता पर निर्भर करता है।

और यह तभी हो सकता है जब हमारे स्कूल और विश्वविद्यालय ऐसे नागरिक तैयार करें जो बौद्धिक रूप से जागरूक हों और संवाद में यकीन रखते हों। असल में, अब यह समझने का समय आ गया है कि विचार शक्ति विहीन व्यक्ति और एक जागरूक नागरिक के बीच बड़ा फर्क होता है। वह जो आत्म–मुग्धता या सत्ता के अहंकार पर सवाल उठाने वाला और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से विनम्रता, जवाबदेही और दूसरों की बात को सहानुभूति से सुनने की मांग करे। अगर हमारे शिक्षण संस्थान सिर्फ मशीनी, डरे हुए या आज्ञाकारी नागरिक तैयार करेंगे, तो लोकतंत्र फल–फूल नहीं पाएगा। चहुं ओर फैली गिरावट के बीच निराशावाद के जाल में फंसना आसान है। फिर भी, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं अब भी हमारे छात्रों में अपार संभावनाएं देखता हूं। समझौतावादी कुलपतियों के उलट, हमारे कुछ छात्र आवाज उठाते हैं और टीआईएसएस (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज) व जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी) जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थानों पर हो रहे हमलों का विरोध कर रहे हैं। या फिर एनएएलएसएआर (हैदराबाद की नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च) के उन छात्रों के बारे में सोचिए जिन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि वे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने के फैसले पर पुनर्विचार करें। विरोध के इस सांकेतिक कदम से हम देख सकते हैं कि ये युवा उन सभी बातों को मानने को तैयार नहीं हैं जिन्हें सत्ताधारी व्यवस्था सही ठहराना चाहती है–और कभी–कभी तो देश के सर्वोच्च न्यायालय के जरिए भी। शायद, युवा छात्रों की अंतरात्मा की आवाज को दबाना हमेशा आसान नहीं होता।–लेखक समाजशास्त्री हैं।

आखिर सड़कों पर क्यों उतर रही है जनता?

—नीरज कुमार दुबे—

मणिपुर में जनगणना से पहले एनआरसी की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब बड़ा रूप ले चुका है और राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। मणिपुर में बड़े प्रयासों के बाद शांति स्थापित हुई लेकिन नये आंदोलन के चलते प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं और जनगणना प्रशिक्षण का काम कुछ जिलों में रोकना पड़ गया है। देखा जाये तो मणिपुर में 'नो एनआरसी, नो सेंसस' का नारा अब केवल जनगणना रोकने की मांग तक सीमित नहीं रह गया है।

मणिपुर में जनगणना से पहले एनआरसी की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब बड़ा रूप ले चुका है और राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। मणिपुर में बड़े प्रयासों के बाद शांति स्थापित हुई लेकिन नये आंदोलन के चलते प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं और जनगणना प्रशिक्षण का काम कुछ जिलों में रोकना पड़ गया है। देखा जाये तो मणिपुर में 'नो एनआरसी, नो सेंसस' का नारा अब केवल जनगणना रोकने की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। इसके पीछे विस्थापन, जनसंख्या में बदलाव, भूमि अधिकार, पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताएं हैं। तीन साल से अधिक समय से जातीय हिंसा की मार झेल रहे मणिपुर में जनगणना से पहले एनआरसी की मांग अब एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे का रूप ले चुकी है। बताया जा रहा है कि वर्तमान आंदोलन की सबसे बड़ी चिंता 40 हजार से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से जुड़ी है। चुराचांदपुर या मोरेह से विस्थापित कोई मैतेई परिवार आज इम्फाल के राहत शिविर में रह रहा है, तो जनगणना में उसकी वर्तमान स्थिति दर्ज हो सकती है। इसी तरह इम्फाल से विस्थापित कोई कुकी परिवार चुराचांदपुर में गिना जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनगणना मणिपुर की वास्तविक जनसंख्या संरचना दर्ज करेगी या हिंसा और विस्थापन से अस्थायी रूप से बदले भूगोल को? यह चिंता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जनगणना के आंकड़े भविष्य में विकास योजनाओं, संसाधनों के आवंटन, परिसीमन, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकते हैं।

इसी पृष्ठभूमि में कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन के नेतृत्व में आंदोलन तेज हुआ। 48 घंटे के बंद के दौरान कई घाटी जिलों में सड़कें जाम की गईं, प्रदर्शन हुए और मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के पुतले जलाए गए। छात्रों और महिलाओं की भागीदारी ने आंदोलन को व्यापक जनरूप दिया। अब सरकारी कार्यालयों के बहिष्कार का भी ऐलान किया गया है, जबकि आवश्यक सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। बढ़ते तनाव के बीच राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों को तीन दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि आंदोलन की मूल मांग है कि जनगणना से पहले नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स यानी एनआरसी को लागू या अपडेट किया जाए। देखा जाये तो यहां एनआरसी और जनगणना में अंतर समझना जरूरी है। जनगणना का उद्देश्य आबादी की गणना और उसकी सामाजिक–आर्थिक जानकारी जुटाना है, जबकि एनआरसी का संबंध भारतीय नागरिकों की पहचान से है। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 14ए और 2003 के नियम इसके कानूनी ढांचे से जुड़े हैं। आंदोलन समर्थकों का तर्क है कि पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि राज्य की वैध जनसांख्यिकीय आबादी कौन है, उसके बाद ही नई जनगणना के आंकड़ों को भविष्य के प्रशासनिक और राजनीतिक फैसलों का आधार बनाया जाए।

देखा जाये तो मणिपुर में यह मांग नई नहीं है। विधानसभा 2022 और फिर 2024 में एनआरसी लागू करने संबंधी प्रस्ताव पारित कर चुकी है। राज्य जनसंख्या आयोग का गठन भी इसी बहस की पृष्ठभूमि में हुआ। लेकिन सबसे विवादास्पद मुद्दा कट–ऑफ वर्ष का है। कई नागरिक संगठनों की मांग है कि 1951 को आधार बनाया जाए, जबकि राज्य मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट के संदर्भ में 1961 को 'मूल निवासी' निर्धारण का आधार स्वीकार किया था। यही अंतर अब आंदोलन की राजनीतिक धार को और तेज कर रहा है। जनसांख्यिकीय बदलाव की आशंका के पीछे पुराने आंकड़ों का भी हवाला दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 1961 में मणिपुर की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 35.04 प्रतिशत और 1971 में 37.52 प्रतिशत रही, जबकि 2011 में यह 24.50 प्रतिशत थी। समर्थकों का कहना है कि ऐसे बदलावों की गंभीर जांच होनी चाहिए। हालांकि यह भी उतना ही जरूरी है कि जनसंख्या वृद्धि को सीधे अवैध प्रवास का प्रमाण नहीं मान लिया जाए। हर दावा तथ्यों और प्रमाणों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। यहीं यह बहस सबसे संवेदनशील हो जाती है। म्यांमार सीमा से लगे मणिपुर में अवैध प्रवास का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रहा है। लेकिन कुकी–जो समुदायों के म्यांमार के चिन समुदायों से जातीय संबंध भी हैं। इसलिए पूरे समुदाय को अवैध प्रवास की दृष्टि से देखना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकता है, बल्कि पहले से विभाजित समाज में अविश्वास को और गहरा कर सकता है। एनआरसी पर बहस प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए, किसी समुदाय के सामूहिक संदेहीकरण के आधार पर नहीं।

उधर, अब 2027 की जनगणना इस विवाद का तात्कालिक केंद्र बन गई है। पहले चरण में सितंबर में हाउस लिस्टिंग प्रस्तावित है, जबकि फरवरी 2027 में जनसंख्या और सामाजिक–आर्थिक विवरण जुटाए जाने हैं। इसी बीच लिलोंग के एसडीओ द्वारा जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द किया जाना तनाव कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ज्ञापन, प्रदर्शन और चेतावनियां पहले से मौजूद थीं, तब राजनीतिक संवाद पहले क्यों नहीं शुरू हुआ?

इसी बीच विभिन्न समुदायों और संगठनों के नेताओं का एक 10 सदस्यीय दल दिल्ली रवाना हुआ है, ताकि केंद्र के समक्ष एनआरसी और जनगणना का मुद्दा उठाया जा सके। दिल्ली जाना जरूरी हो सकता है, क्योंकि एनआरसी और जनगणना जैसे फैसलों में केंद्र की भूमिका निर्णायक है। लेकिन हर बार स्थानीय संकट के बाद दिल्ली की ओर देखना राजनीतिक नेतृत्व की सीमाओं को भी उजागर करता है। देखा जाये तो जनगणना शासन, विकास और कल्याण के लिए अनिवार्य है। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या लंबे विस्थापन, अधूरी पुनर्वास प्रक्रिया और गहरे जनसांख्यिकीय अविश्वास के बीच की गई जनगणना मणिपुर की सामान्य सामाजिक संरचना का वास्तविक चित्र पेश कर पाएगी?

बहरहाल, सरकार को आंदोलन को केवल कानून–व्यवस्था की समस्या मानने की बजाय उसके पीछे छिपे विश्वास के संकट को समझना होगा। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द कर देना या दिल्ली में ज्ञापन सौंप देना पर्याप्त नहीं होगा। मणिपुर को तथ्य–आधारित एनआरसी बहस, विस्थापितों की सुरक्षित वापसी, जनगणना की विश्वसनीयता और सभी समुदायों की संवैधानिक सुरक्षा पर गंभीर राजनीतिक संवाद चाहिए।–(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

भारतीय क्षेत्र को अपना कैसे कहता है नेपाल?

—डॉ.राधेश्याम द्विवेदी—

नेपाल ने भारत के साथ 1816 में हुई संधि के दस्तावेज खो दिए होंगे, जो उसके सीमा दावे का आधार है। नेपाल के विदेश मंत्री ने नेपाल के संसद में कहा है कि सरकार इस बात की पुष्टि नहीं कर सकती कि उसके पास 1816 की सुगौली संधि का मूल दस्तावेज है या नहीं। बालेन शाह ने पहले दावा किया था कि नेपाल ने भी भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है। ये परस्पर विरोधी भी हैं और अतर्किक भी हैं। नेपाल 1816 की सुगौली संधि के मूल दस्तावेज पर अपना अधिकार होने की पुष्टि नहीं कर सकता। नेपाल के राष्ट्रीय अभिलेख आगार में संधि से संबंधित कुछ दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन मूल दस्तावेज की पुष्टि नहीं हो पाई है। 1816 की संधि नेपाल के आधुनिक क्षेत्रीय दावों का कानूनी आधार है। नेपाल ने संभवतः 1816 की सुगौली संधि के मूल दस्तावेज खो दिए हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिसिर खनाल ने नेपाल की संसद के निचले सदन (प्रतिनिधि सभा) में संकेत दिया है कि सरकार इस बात की पुष्टि नहीं कर सकती कि उसके पास 1816 की सुगौली संधि का मूल दस्तावेज है या नहीं। मंत्रीजी ने पुष्टि की है कि राष्ट्रीय अभिलेख आगार में कुछ दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन राज्य के विभिन्न विभागों में व्यापक खोजबीन के बावजूद मूल हस्ताक्षरित दस्तावेज नहीं मिल सका है। खानल ने कहा, "नेपाल सरकार के पास इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं है कि क्या हमारे पास आधिकारिक संधि दस्तावेज मौजूद हैं। ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि कुछ संधियों से संबंधित दस्तावेज राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे गए हैं। लेकिन हमारे पास इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं है कि क्या वे वास्तव में आधिकारिक संधियां हैं।" हो सकता है कि नेपाल 1816 की सुगौली संधि के असली दस्तावेज खो चुका हो।

मंत्री ने बताया कि हालांकि नेशनल आर्काइव्स में कुछ कागजात मौजूद हैं, लेकिन सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर तलाशी के बावजूद संधि का वह पक्का और असली दस्तावेज नहीं मिल सका, जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा, "नेपाल सरकार के पास इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि हमारे पास आधिकारिक संधि दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं। ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिनसे पता चलता है कि कुछ संधियों से जुड़े दस्तावेज नेशनल आर्काइव्स में रखे गए हैं।लेकिन हमारे पास इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं है कि क्या वे असल आधिकारिक संधियां हैं।" 2019 में, नेपाल के तत्कालीन विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा था कि नेपाल के पास संधियों की प्रतियां मौजूद हैं। 1816 में हुए एंग्लो–नेपाली युद्ध के बाद ब्रिटिश–शासित भारत (ईस्ट इंडिया कंपनी) के साथ हस्ताक्षरित सुगौली संधि, नेपाल के आधुनिक क्षेत्रीय दावों का मूलभूत कानूनी आधार है। इस संधि पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ और नेपाल के शासक, राजा गिरवन युद्ध बिक्रम शाह की ओर से राज गुरु गजराज मिश्रा ने हस्ताक्षर किए थे। सुगौली संधि स्वतंत्रता–पूर्व का दस्तावेज है और भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद से वह नेपाल के साथ विदेश संबंध काफी हद तक अन्य दस्तावेजों के आधार पर ही संचालित करता रहा है, जबकि सुगौली संधि एक महत्वपूर्ण आधारभूत दस्तावेज बनी हुई है। आज भारत–नेपाल सीमा का प्रबंधन भारत–नेपाल शांति और मैत्री संधि (1950) और संयुक्त द्विपक्षीय कार्य समूहों द्वारा तैयार किए गए तकनीकी दस्तावेजों के माध्यम से किया जाता है।

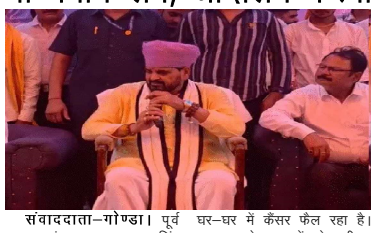

बृजभूषण बोले– बाबा रामदेव तो विदेशी चड्ढी भी बनाने लगे, आंदोलन करना हो तो मर्द बनें

संवाददाता–गोण्डा। पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को बाबा रामदेव पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बाबा रामदेव तो स्वदेशी को लेकर चले थे, लेकिन विदेशी चड्ढी तक बनाने लगे हैं। बाबा रामदेव की बात का कौन विश्वास करता है? इस बार बाबा रामदेव से कह दीजिएगा कि सिंदूर और बिंदी पहनकर न आएं, मर्द की तरह आएं। दरअसल, बृजभूषण दोपहर करीब 2 बजे रघुकुल विद्यापीठ में प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने पांच ब्लॉक से आए 1000 से अधिक मेधावियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों पर लगाए गए यूपी सरकार के प्रतिबंधा पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने सरकार से पूछा कि अरे प्रभु, इतना देर क्यों कर दी? गांव–गांव में कैंसर, घर–घर में कैंसर फैल रहा है। बृजभूषण ने अफसरों को नसीहत देते हुए कहा कि वे नकली उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई करें, असली कारोबारियों को बेवजह परेशान न करें। ऐसा न करें कि नकली वाले के यहां जाएं नहीं और असली वाले को रगड़ दें। बृजभूषण शरण ने कहा कि अभी डब्लूएचओ की रिपोर्ट एक रिपोर्ट आई थी। इसमें लिखा था कि जितना दूध पैदा होता है, उससे तीन गुना ज्यादा खपत है। अब जब डब्लूएचआ ने कह दिया तो सही और बृजभूषण 20 साल से घूम–घूमकर कह रहे, तो कोई नहीं माना। नकली तेल, नकली घी, नकली समोसा, लेकिन हमारी बात कोई नहीं मानता था। आप सोचो जहर बिक रहा है। मैंने सुना अभी यूपी सरकार ने कुछ खाद्य पदार्थों पर बैन लगाया है। सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद। लेकिन, अरे प्रभु, इतनी देर क्यों कर दी? बाबा रामदेव के आंदोलन की चेतावनी को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आंदोलन करना चाहिए, आने दीजिए उनको। मैदान से एक बार भागे थे पायजामा और सलवार पहन करके। उनके अंदर आंदोलन की क्षमता है। लेकिन, इस बार बाबा रामदेव से कह दीजिएगा कि मर्द की तरह आंदोलन करें। मैं मानता हूं कि नकली घी का कल्चर जो इस देश में बड़े पैमाने पर आया, वह बाबा रामदेव ही लाए हैं। महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की कोर्ट से बरी होने के बाद बृजभूषण के गोंडा दौरे पर हैं। अपने गृह जिले पहुंचने पर उनका कई जगह समर्थकों का जोरदार स्वागत किया। अयोध्या से गोंडा तक उनके काफिले के रास्ते में बड़ी संख्या में लोग नजर आए। इस दौरान फूल बरसाए गए, नारे लगाए गए और कई जगह आतिशबाजी भी हुई। गोंडा जाते समय नवाबगंज क्षेत्र में एक मदरसे के बच्चों ने बृजभूषण का स्वागत करते हुए फूल बरसाए। उनके समर्थन में 'शेर आया, शेर आया' के नारे लगाए। महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की कोर्ट से बरी होने के बाद बृजभूषण के गोंडा दौरे पर हैं। अपने गृह जिले पहुंचने पर उनका कई जगह समर्थकों का जोरदार स्वागत किया।

पुरानी पेंशन बहाली को अटेवा ने तिरंगा यात्रा निकालकर भरी हुंकार

संवाददाता–महराजगंज। अटेवा केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर शुक्रवार को अटेवा से जुड़े शिक्षकों व कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हुंकार भरी।

दोपराह बाद जीएसबीएस इंटर कालेज के प्रांगण से एनपीएस और यूपीएस के विरोध में ओपीएस तिरंगा यात्रा निकालकर अपनी एकता और ताकत का एहसास कराया। तिरंगा यात्रा नगर के सक्सेना चौक से शुरू होकर हनुमानगढ़ी चौराहा से होते हुए पुनः सक्सेना चौक पर पहुंची। यहां मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को देकर तिरंगा यात्रा का समापन किया।

प्रदेश संगठन मंत्री राजेश जायसवाल ने कहा कि सरकार को हर हाल में ओपीएस बहाल करना पड़ेगा। यह हमारा हक है इसे लेकर ही दम लेंगे। मंडल अध्यक्ष डॉ. नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है। इसे किसी भी कीमत पर लेकर ही मानना है। जिलाध्यक्ष टीपी सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन के लिए यह आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। जिला उपाध्यक्ष देवेश पांडेय व शिव प्रताप सिंह ने कहा कि एनपीएस कर्मचारियों के साथ छलावा है। यह स्वीकार्य नहीं है। संरक्षक विद्यासागर पटेल ने कहा कि पेंशन की बहाली होने तक हमे एकजुट रहना होगा। जिला कोषाध्यक्ष राघवेन्द्र गुप्त व मीडिया प्रभारी सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के जीवन–मरण का सवाल है। पुरानी पेंशन बहाली तक लाखों कर्मचारी सड़क से संसद तक संघर्ष करेंगे।

तिरंगा यात्रा के दौरान सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह, लेखपाल संघ के सदर तहसील अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी, उपेंद्र पटेल, विनोद कुमार, पारसनाथ, संजय चौधरी, मदन गोपाल गुप्ता, विपिन बिहारी, अजय पटेल, डॉ. सतीश त्रिपाठी, मनोज आर्य, राजेश गौड़, विपिन पटेल, पंकज मौर्या, मो. अयूब अंसारी, राकेश यादव, नागेंद्र चौहान, अभिनव सिंह, राम छबीले, शाह आलम, रामज्ञान, वैभव द्विवेदी, बसंत गुप्ता, अजय त्रिपाठी, अनिल कुमार, कौशल कशौधन, बृजेश यादव, हेसामुददीन सिद्दीकी, सोहन सहानी, विश्व बंधु पटेल, विमल गुप्ता, अमित कुमार, मिथिलेश सिंह, प्रमोद पटेल, सुनील प्रजापति, जनार्दन सिंह, अशोक, दीपक यादव, प्रदीप, अजय पाण्डेय, सुनील गौतम, राजेश, अब्दुल रहमान, इब्राहिम अंसारी, योगेन्द्र यादव, संदीप, रमेश कुमार, गोपाल, राजू, शैलेन्द्र, विवेक, लक्ष्मी प्रसाद, आदित्य गुप्ता, परोमिता विश्वास, निधि सचान, मनीषा चौहान, बबीता यादव, पूजा यादव, नीलम कुमारी व सतीश गोयल आदि मौजूद रहे।

मारपीट में मौत, दो अभियुक्तों को पांच साल की सजा

संवाददाता–श्रावस्ती। कोतवाली भिनगा क्षेत्र में मारपीट के बाद घायल व्यक्ति की मौत के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय श्रावस्ती ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। पुलिस विभाग ने शुक्रवार 4रू00 बजे के बाद बताया की अदालत ने दोनों को पांच–पांच वर्ष के सश्रम कारावास और पांच–पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है। पुलिस के अनुसार, वादी की छत की रेलिंग गिराने को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान अभियुक्तों ने गाली–गलौज करते हुए वादी के पिता के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पुरे खैरी निवासी इमरान उर्फ अली अहमद पुत्र रिजवान और रिजवान पुत्र सकूर के खिलाफ कोतवाली भिनगा में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने धारा 323֊34, 304֊34, 504 और 427 भादवि के तहत कार्रवाई की थी। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय श्रावस्ती ने सुनवाई पूरी करने के बाद दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया। न्यायालय ने उन्हें पांच वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने इस फैसले को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण एवं चिन्हित अभियोगों की स्वयं मॉनिटरिंग की जा रही है।

सड़क हादसे में युवक समेत दो की मौत

संवाददाता–देवरिया। थाना क्षेत्र के करौंदी कांटा के समीप शुक्रवार की दोपहर तेज रफ्तार बोलेरो ने युवक समेत दो लोगों को रौंद दिया। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए दोनों को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना गांव पहुंचते ही परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।खुखुंदू थाना क्षेत्र के असना गांव के रहने वाले रामप्यारे कुशवाहा (50) पुत्र चंद्रभान कुशवाहा पैदल ही सलेमपुर–देवरिया मार्ग को दोपहर को पार कर रहे थे। इस बीच सलेमपुर–देवरिया मार्ग पर खुखुंदू की तरफ से देवरिया की तरफ जा रही तेज रफ्तार बोलेरो ने रौंद दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद बोलेरो ने अनियंत्रित हो गई और सड़क के किनारे पैदल जा रहे बृजेश कुमार (32) पुत्र शिवकुमार को भी रौंद दिया। जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

25 हजार का इनामी गिरफ्तार

संवाददाता–बहराइच। पुलिस ने दरगाह शरीफ थाना परिसर से पुलिस को चकमा देकर फरार हुए 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी विशाल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को शुक्रवार को झिंगहाघाट बाईपास से पकड़ा गया। विशाल दो मुकदमों में वांछित था और उसके खिलाफ श्रावस्ती में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरगाह शरीफ थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिलौला बाजार, श्रावस्ती निवासी विशाल मिश्रा और रफीक को 9.44 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। मामले में दरगाह शरीफ थाने में एनडीपीएस एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा संख्या 372/2026 और 373/2026 दर्ज किए गए थे। रफीक को पुलिस ने न्यायालय भेज दिया था, जबकि विशाल मिश्रा 16 अगस्त को पुलिसकर्मियों को चकमा देकर थाना परिसर से फरार हो गया था। आरोपी के थाने से फरार होने की घटना को पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने गंभीरता से लिया था। उन्होंने दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। साथ ही विशाल मिश्रा की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर विशेष पुलिस टीम गठित की गई थी। एसपी के निर्देश पर एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह और सीओ नगर नारायण दत्त मिश्र के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष अमितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपी की तलाश कर रही थी। शुक्रवार को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने झिंगहाघाट बाईपास पर घेराबंदी कर विशाल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अनुसार, विशाल मिश्रा के खिलाफ श्रावस्ती के गिलौला थाने में एनडीपीएस एक्ट, चोरी, बरामदगी और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक जयराम यादव, थानाध्यक्ष अमितेन्द्र सिंह, उपनिरीक्षक सुरेश यादव और आशुतोष कुमार राय समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

कृषि यंत्रों के लिए 350 किसान चयनितः ई–लॉटरी के माध्यम से अनुदान पर मिलेंगे उपकरण

संवाददाता–बहराइच। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए शुक्रवार को ई–लॉटरी का आयोजन किया गया। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष 350 किसानों का चयन किया गया। यह चयन वर्ष 2026–27 के लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) और इन–सीटू क्रॉप रेजीड्यू मैनेजमेंट (सीआरएम) योजनाओं के लाभार्थियों के लिए हुआ।

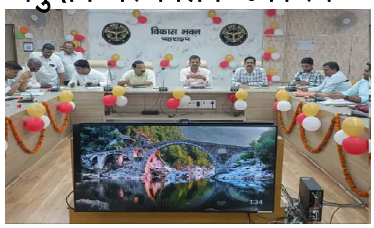

उप कृषि निदेशक विनय कुमार वर्मा ने बताया कि एसएमएएम योजना के तहत 205 कृषि यंत्रों के लक्ष्य के सापेक्ष 1320 किसानों ने ऑनलाइन बुकिंग की थी। इनमें से ई–लॉटरी के माध्यम से 205 किसानों का चयन किया गया। इसी प्रकार, इन–सीटू योजना में 145 यंत्रों के लक्ष्य के लिए 299 किसानों ने बुकिंग कराई थी, जिनमें से 145 किसानों को चुना गया। कुल मिलाकर, दोनों योजनाओं में 350 किसानों को लाभान्वित करने के लिए चयनित किया गया है।

ई–लॉटरी में कैसरगंज की चंद्रावती सिंह, बलहा के राजाराम वर्मा, महसी के पन्नालाल, मिहींपुरवा के राजकुमार वर्मा और नवाबगंज के रूपचंद्र सहित कई किसानों का चयन कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त, लेजर लैंड लेवलर, रीपर कम्बाइंडर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, कम्बाइन हार्वेस्टर, सुपर सीडर, किसान ड्रोन, रोटावेटर, फार्म मशीनरी बैंक, चेफकटर, पावर वीडर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर और मिनी राइस मिल जैसे विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए भी लाभार्थियों का चयन हुआ।

उप कृषि निदेशक ने चयनित किसानों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित समय में कृषि यंत्र खरीदकर पोर्टल पर बिल अपलोड करें। इससे सत्यापन के बाद अनुदान की धनराशि उनके खातों में शीघ्र भेजी जा सकेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यंत्र खरीदने से पहले निर्धारित मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि अपने बैंक खाते से विक्रेता के खाते में हस्तांतरित करनी होगी और सत्यापन के समय इसका साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

इस कार्यक्रम में जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूबेदार यादव, जिला गन्ना अधिकारी आनंद शुक्ला, जिला उद्यान अधिकारी दिनेश चौधरी, एलडीएम जितेंद्र कुमार मसंद, अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी दीपक कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. अरुण कुमार राजभर सहित अन्य अधिकारी, समिति के सदस्य और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

नर्मदेश्वर भगवान शिव के रुद्राभिषेक से हुआ पुण्यतिथि महोत्सव का शुभारंभ

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी राष्ट्रीय संत, प्रखर वक्ता, मानस एवं कर्मकांड के मर्मज्ञ साकेतवासी महंत ब्रह्मचारी श्री विश्वनाथ दास शास्त्री जी महाराज (पूर्व सांसद) की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दो दिवसीय पुण्यतिथि महोत्सव का शुक्रवार को श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में शुभारंभ हुआ। दर्शन भवन, जानकी घाट स्थित जगद्गुरु स्वामी रामानंद जी के मंदिर परिसर में आयोजित महोत्सव के पहले दिन नर्मदेश्वर भगवान शिव के भव्य रुद्राभिषेक से धार्मिक अनुष्ठानों का आरंभ हुआ। इस दौरान मंदिर परिसर को रंग–बिरंगे पुष्पों से आकर्षक ढंग से सजाया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिरस में सराबोर नजर आया।प्रातः सात बजे से दस बजे तक श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से नर्मदेश्वर भगवान का रुद्राभिषेक किया। वैदिक मंत्रोच्चार और भगवान शिव के जयघोष से मंदिर परिसर गूंजता रहा। इसके बाद अपराह्न दो बजे से सुंदरकांड का सामूहिक पाठ हुआ। पाठ के उपरांत श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया।

सायंकाल मंदिर के मुख्य द्वार पर अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण कराया गया।महोत्सव की विशेषता यह रही कि शुक्रवार से ही ठाकुरजी को झूलन महोत्सव में विराजमान कराया गया। अयोध्या धाम के प्रसिद्ध रसिक संतों की ओर से विशेष झूलन की प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। सावन के पदों और भक्ति संगीत की मधुर स्वर लहरियों के बीच ठाकुरजी के झूलन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इसके साथ ही सांस्कृतिक संध्या एवं शास्त्रीय संगीत का भी आयोजन हुआ।शनिवार को होगी पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा उसके पूर्व सद्गुरुदेव भगवान के प्रतिष्ठित विग्रह का अभिषेक, विशेष पूजन–अर्चन एवं आरती होगी। इसके पश्चात अयोध्या धाम के प्रतिष्ठित संतों द्वारा जेवनार गायन किया जाएगा। दोपहर में संत–भंडारा आयोजित होगा, जिसमें अयोध्या के संत–महंतों सहित श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे।महंत डॉ. ममता शास्त्री ने बताया कि महंत ब्रह्मचारी श्री विश्वनाथ दास शास्त्री जी महाराज ने धर्म, अध्यात्म और समाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके जीवन का प्रत्येक पक्ष रामभक्ति, भारतीय संस्कृति और संत परंपरा के प्रति समर्पित रहा। उनकी पुण्यतिथि केवल स्मरण का अवसर नहीं, बल्कि उनके आदर्शों और आध्यात्मिक विरासत को आत्मसात करने का भी अवसर है।

बाढ़ से 9 हजार लोग प्रभावित, 10 गांवों में पानी भरा, फसलें बर्बाद, बच्चों की पढ़ाई ठप

संवाददाता–गोण्डा। घाघरा नदी का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। तरबगंज और कर्नलगंज तहसील के 10 गांवों की करीब 9 हजार आबादी अब भी बाढ़ की चपेट में है। गांवों के अंदर और बाहर पानी भरा हुआ है। निचले इलाकों में कई घरों में पानी घुसने से लोग चारपाई और तख्त पर रहने को मजबूर हैं। वहीं, खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। बीते 24 घंटे से घाघरा नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे एल्गिन ब्रिज पर नदी खतरे के निशान से 33 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, शुक्रवार सुबह गिरजा, शारदा और सरयू बैराज से कुल 2 लाख 89 हजार 165 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जलस्तर घटने के बावजूद गांवों में जमा पानी निकलने में समय लग रहा है। सड़कों पर पानी होने से लोगों का आवागमन नाव के सहारे हो रहा है।

बाढ़ ने ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी के साथ बच्चों की पढ़ाई और पशुपालन को भी प्रभावित किया है। पानी भरे होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। किसानों के सामने फसलों के साथ पशुओं के चारे का भी संकट खड़ा हो गया है। बाढ़ से पहले निचले इलाकों में रखा सूखा चारा पानी में डूबकर खराब हो गया है। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को लंच पैकेट और राहत सामग्री दी जा रही है, जबकि कुछ परिवार सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। निचले इलाकों के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पानी भरने के कारण ग्रामीणों को घर के अंदर चारपाई और तख्त पर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। सड़कों और रास्तों पर पानी भरने से गांवों में आवागमन भी प्रभावित है। ग्रामीणों को जरूरी काम के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में नावों की व्यवस्था की है। गांवों में पानी भरा होने के कारण बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल जाने के बजाय कई बच्चे बाढ़ के पानी में मछली पकड़ते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव लंबे समय तक रहने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता भी बनी हुई है। गांवों से स्कूल तक जाने वाले रास्ते पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ से किसानों के सामने दोहरी परेशानी खड़ी हो गई है। खेतों में पानी भरने से फसलें खराब होने लगी हैं। वहीं, पशुओं के लिए रखा सूखा चारा भी पानी में डूबकर खराब हो चुका है। ग्रामीणों के सामने पशुओं को चारा उपलब्ध कराने का संकट है। प्रशासन की ओर से राहत सामग्री और लंच पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन पानी की वजह से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई हैं। घाघरा नदी का जलस्तर अब घट रहा है। शुक्रवार सुबह एल्गिन ब्रिज पर नदी खतरे के निशान से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी। प्रशासन जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है। वहीं, तरबगंज तहसील के नवाबगंज क्षेत्र में नदी का कटान किसानों के लिए नई परेशानी बन गया है। घाघरा नदी किसानों की जमीन काटकर अपने आगोश में ले रही है। क्षेत्र में सरयू नदी का भी पानी ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बाढ़ के कारण दोनों तहसीलों में 10 से अधिक परिवार अपने पानी में डूबे घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। प्रभावित गांवों में प्रशासन की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। ग्रामीणों को राहत सामग्री और लंच पैकेट दिए जा रहे हैं। प्रशासन की कोशिश है कि जलस्तर कम होने तक प्रभावित परिवारों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। हालांकि, नदी का जलस्तर घटने के बावजूद गांवों में जमा पानी और कटान के कारण खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है।

नौकर ने मालिक का एटीएम चुराया, 10 लाख निकाले, आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता–बलरामपुर। कोतवाली नगर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने अपने मालिक का एटीएम कार्ड चुराकर खाते से करीब 9 से 10 लाख रुपये निकाल लिए थे। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 77,500 रुपये नकद, एटीएम कार्ड, मोटरसाइकिल, एसी, टीवी, कूलर, टुल्लू पंप और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, पूरबटोला पश्चिमी निवासी प्रेम कुमार मिश्रा ने 20 अगस्त को कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके पूर्व नौकर सलमान खान उर्फ मन्ना (24) ने उनका एटीएम कार्ड चुरा लिया और खाते से लगभग 9 लाख रुपये निकाल कर खर्च कर दिए। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने धोखाधड़ी से एटीएम का पिन नंबर जान लिया था। इसके बाद उसने खाते से करीब 10 लाख रुपये निकाले। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने इस रकम से मोटरसाइकिल, एलजी कंपनी का एसी, सैमसंग टीवी, समरकूल कूलर, हैवेल्स का टुल्लू पंप और मोबाइल फोन खरीदे। उसने कुछ पैसे घर बनवाने में भी खर्च किए।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी की तलाशी ली गई। उसके काले रंग के पिट्ठू बैग से एचडीएफसी बैंक का एटीएम कार्ड, 77,500 रुपये नकद और मोटोरोला कंपनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ। उसकी निशानदेही पर अन्य सामान भी बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में एक और धारा जोड़ी गई है। कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी सलमान उर्फ मन्ना पुत्र रियाज, निवासी पूरबटोला पश्चिमी, बलरामपुर को शुक्रवार को सुआवनाला से गेल्हापुर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया। पुलिस टीम में प्रभारी थाना कोतवाली नगर निरीक्षक कन्हई प्रसाद, उपनिरीक्षक सूर्या प्रकाश शर्मा, कांस्टेबल विनय प्रताप सिंह, नीरज यादव, हीरालाल, शुभम तिवारी और विजय बहादुर शामिल थे।

काली पट्टी बांधकर लेखपालों ने जताया विरोध, थाना दिवस का करेंगे बहिष्कार

संवाददाता–देवरिया। अयोध्या में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को लेखपालों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। लेखपालों ने कार्रवाई को निंदनीय बताते हुए शनिवार को होने वाले समाधान दिवस के बहिष्कार का निर्णय लिया है।सलेमपुर लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष लक्मुद्दीन अंसारी ने कहा कि लखनऊ से संघ के पदाधिकारियों के निर्देश के क्रम में शुक्रवार को सभी लेखपाल काली पट्टी बांधकर अपने कार्यों का निर्वहन किया। शनिवार को थानों पर आयोजित होने वाले समाधान दिवस के दौरान लेखपाल कार्य नहीं करेंगे। सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक तहसील में भी कार्य बहिष्कार रहेगा। लेखपालों के मुताबिक अयोध्या में एंटी करप्शन टीम ने एक लेखपाल को उसके कार्यालय से गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई का वीडियो कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात कही जा रही है। वीडियो में एक व्यक्ति लेखपाल के पास फाइल लेकर पहुंचता है और फाइल रखकर चला जाता दिखाई दे रहा है। इसके कुछ देर बाद एंटी करप्शन टीम कार्यालय पहुंची और लेखपाल को पकड़कर तलाशी लेने लगी। समीर सिद्धार्थ ने कहा कि शुक्रवार को सभी लेखपालों ने अपने कार्य तो किया, लेकिन बांह पर काली पट्टी बांधकर कार्रवाई का विरोध दर्ज कराया, लेकिन शनिवार को समाधान दिवस में लेखपालों के कार्य बहिष्कार के कारण वे राजस्व संबंधी कार्यों में शामिल नहीं होंगे। विरोध जताने वालों में तहसील अध्यक्ष लक्मुद्दीन अंसारी, मंत्री परशुराम मिश्र, समीर सिद्धार्थ, नितेश चतुर्वेदी, अतुल कुमार, सतेन्द्र कुमार, प्रीति मिश्रा, प्रियंका विश्वकर्मा, अंजली सिंह आदि शामिल रहे।

अत्याधुनिक बीआरसी केंद्र का शिलान्यास, विधायक ने किया भूमि पूजन

संवाददाता–गोण्डा। उच्च प्राथमिक विद्यालय इटियाथोक प्रथम के प्रांगण में शुक्रवार को अत्याधुनिक बीआरसी (ब्लॉक रिसोर्स सेंटर) केंद्र के नए भवन की आधारशिला रखी गई। मेहनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह और खंड शिक्षा अधिकारी गीतांजलि भी उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक विनय द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ऑपरेशन कायाकल्प और प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों को कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर रही है। उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में बनने वाला यह बीआरसी केंद्र शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र से कार्यरत अधिकारियों–कर्मचारियों के साथ–साथ ब्लॉक क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। विधायक ने बताया कि बीआरसी केंद्र का अपना भवन न होने के कारण अब तक इसका संचालन इसी विद्यालय के एक अतिरिक्त कक्ष में किया जा रहा था, जिससे विद्यालय के पठन–पाठन और केंद्र के विभागीय कार्यों में असुविधा होती थी।

विधायक द्विवेदी ने आगे कहा कि अब उसी प्रांगण में नया भवन बन जाने के बाद दोनों ही कार्यों का संचालन सुगमता से हो सकेगा। उन्होंने कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि और विभागीय जेई को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कार्यक्रम का संचालन शिक्षक सुभाष शुक्ला ने किया। स्कूली बच्चों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर शिक्षक संघ के पदाधिकारी, विभिन्न स्कूलों के शिक्षक, भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

चंपत राय के लेटर बम पर मीडिया पर भड़के नृपेंद्र मिश्र, कहा– आप लोगों की मनगढ़ंत गाथा, विवाद न कराएं

संवाददाता–अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद प्रकरण लगातार सुर्खियों में है। इस प्रकरण में गुरुवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने नौ पन्नों का पत्र जारी किया। इस पत्र में पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र और चंपत राय के बीच तनातनी बढ़ती दिख रही है। चंपतराय के मनमानी के आरोपों पर शुक्रवार को अयोध्या में नृपेंद्र मिश्र से मीडियाकर्मियों ने सवाल किए तो वे नाराज हो गए। चंपतराय के आरोपों पर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि यह तो मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है। आप विवाद चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आलोचना नहीं की होगी, चंपतराय ने मनमानी का आरोप लगाया था। पत्र जारी कर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपतराय के कथित आरोपों की और ध्यान दिलाने पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भड़क गए। उन्होंने मीडिया पर पलटवार करते हुए कहा कि मैंने चंपतराय का यह पत्र देखा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आप लोगों ने मनगढ़ंत गाथा तैयार की होगी। सच यह है कि हर जगह आप विवाद पैदा करना चाहते हैं।

मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष शुक्रवार को सर्किट हाउस में समिति की बैठक और राम मंदिर निर्माण से जुड़ी ताजा जानकारी साझा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनना करोड़ों श्रद्धालुओं के सपनों का साकार होना है। सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि मंदिर निर्माण में केंद्र या राज्य सरकार का पैसा नहीं लगा, ट्रस्ट द्वारा एकत्रित श्रद्धालुओं के दान से इतना भव्य निर्माण कराया गया। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर के निर्माण योजना के अनुरूप तय किए गए करीब 70 निर्माण कार्यों में से 60 कार्य पूरे हो चुके हैं। निर्माण कार्यों को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को हस्तगत किया जा चुका है। अब इन नवनिर्मित प्रखंडों का रखरखाव ट्रस्ट करेगा। उन्होंने कहा कि इस बीच राम जन्मभूमि परिसर के रखरखाव में जल भराव की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और इसे देखते हुए परिसर के सीवर और ड्रेनेज निस्तारण की व्यवस्था की जानी है। मिश्र ने बताया कि इसी व्यवस्था को ध्यान में रखकर उन्होंने नगर निगम के नगर आयुक्त एवं सहायक नगर आयुक्त के साथ बैठक की। मंडलायुक्त राजेश कुमार ने मिश्र को आश्वासन दिया कि दो माह में सीवर का काम पूरा हो जाएगा और मंदिर परिसर के अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। नृपेंद्र मिश्र के अनुसार राम जन्मभूमि परिसर का 99 प्रतिशत निर्माण पूरा होने के बाद अब रामकथा संग्रहालय, राम जन्मभूमि परिसर में आडिटोरियम और ट्रस्ट कार्यालय के निर्माण पर विशेष ध्यान है। संग्रहालय की गैलरी नंबर सात पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह चूंकि एक बड़ा व्यय होगा और ऐसे में एक विकल्प यह है कि इस गैलरी को देखने के लिए शुल्क लगाया जाए। मिश्र के अनुसार यद्यपि इस बारे में अंतिम निर्णय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को करना है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र बुधवार को अयोध्या पहुंचे थे। दो दिवसीय दौरे में उन्होंने राम मंदिर व परिसर की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं की प्रगति, रफ्तार और समयसीमा की समीक्षा की। बैठक में रामकथा संग्रहालय, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय, बाउंड्रीवाल, विश्रामालय समेत अन्य कार्यों की वर्तमान स्थिति, पूर्णता और शेष काम की समयसीमा पर रिपोर्ट ली। धीमी परियोजनाओं में देरी के कारणों और तेजी की कार्ययोजना पर चर्चा की। इसके साथ कुछ परियोजनाओं की समयसीमा बढ़ाने पर भी विचार किया। नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण स्थलों का निरीक्षण भी किया और कार्य की प्रगति को परखा।

बौरब्यास राष्ट्रीय इंटर कालेज के प्रधानाचार्य निलंबित

संवाददाता–संतकबीरनगर। बौरब्यास स्थित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य अवधराज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर अनुशासनहीनता, कर्तव्य में लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। प्रबंधक रवि शंकर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह निर्णय अध्यक्ष नेहा पाण्डेय की अध्यक्षता में हुई प्रबंध समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।

पूरे मामले में लगे आरोपों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। प्रबंधक रवि शंकर पांडेय ने बताया कि ग्राम बौरब्यास निवासी राममिलन पुत्र भोला ने 13 जुलाई को जनसुनवाई पोर्टल पर कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध नौ बिंदुओं पर शिकायत दर्ज कराई थी।

प्रबंध समिति के अनुसार, 15 जुलाई को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में विद्यालय में कक्षा 10 में मात्र 03 और कक्षा 6, 7, 8 में 2–2 छात्र ही उपस्थित मिले। कुल 6 छात्र उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में साफ–सफाई, कक्षावार नामांकन की स्थिति अत्यंत खराब पाई गई और पठन–पाठन कार्य संचालित नहीं हो रहा था।

बैठक में प्रबंधक ने अवधराज पर लगे मुख्य आरोपों का विवरण दिया। इन आरोपों में पूरे सत्र में समय–सारिणी न बनाना और पढ़ाई शुरू करने में रुचि न दिखाना शामिल है। उन पर शासकीय मानक से अधिक, लगभग दोगुना शुल्क छात्रों से वसूलने और रसीद न देने का भी आरोप है। इसके अतिरिक्त, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और अंकपत्र के नाम पर प्रति छात्र 100 रुपये की अवैध वसूली का आरोप भी है। अन्य आरोपों में कक्षा 6, 7, 8 में गलत छात्र संख्या दिखाकर मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना में गलत सूचना भेजना, मध्याह्न भोजन की सामग्री को अधिक मात्रा में अपने घर ले जाना और निजी इस्तेमाल करना शामिल है। इस मद की धनराशि को चेक के जरिए निकालकर गबन करने का भी आरोप है। साथ ही, छात्र निधि, विज्ञान निधि, परीक्षा निधि सहित अन्य निधियों का मनमाने ढंग से आहरण कर दुरुपयोग करने, शिक्षकों के सेवा अभिलेखों का अवलोकन व हस्ताक्षर न कराने और पीटीए का गठन न करने के आरोप भी लगाए गए हैं।

पुण्य तिथि पर याद किये गये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं राम उजागर शर्मा : योगदान पर चर्चा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं राम उजागर शर्मा की 53 वीं पुण्यतिथि पर उन्हें जनपद के साहित्यकारों, कवियों द्वारा याद कर श्रद्धांजलि दी गई। कलेक्ट्रेट परिसर में पं राम उजागर शर्मा के पुत्र वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम प्रकाश शर्मा के संयोजन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को सम्बोधित करते हुए मुख्य वक्ता डा. राम नरेश सिंह 'मंजुल' ने विस्तार से उनके बारे में बताते हुए कहा की वह विभिन्न जेलों में लगभग 8 वर्षों तक बंदी रहे। बंदी के दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध कवि मैथिलीशरण गुप्त से हुई। जिन्होंने उन्हें विद्रोही की संज्ञा से कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया। जेल में ही उन्होंने परिवर्तन और जागृति के नाम से क्रान्तिकारी उपन्यासों की रचना की। जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था।

पूर्व सांसद हरिशंकर सफरीवाला, वरिष्ठ कवि पं. चन्द्रबली मिश्र, त्रिभुवन प्रसाद मिश्र, बटुकनाथ शुक्ल, चिन्तामणि पाण्डेय, बी.के. मिश्र, पेशकार मिश्र, वाहिद अली सिद्दीकी, आदि ने कहा की आजादी के बाद से ही देश सेवा का जज्बा कायम रहने की वजह से उन्होंने अपने गांव गौसपुर में नेहरू कृषक विद्यालय की स्थापना की। वह भारत सेवक समाज के अध्यक्ष, प्रान्तीय रक्षक दल के बस्ती कैप्टन, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व भारत सोवियत मैत्री संघ के अध्यक्ष पदों पर आसीन रहे। साधूशरण शुक्ला ने कहा की उन्होंने संग्राम व समाजवादी भारत का प्रकाशन किया। क्रान्तिकारी कविताएं और रचनाएं लिखते रहे।

कार्यक्रम में 95 वर्षीय सुरति नारायण त्रिपाठी, ओम प्रकाश मिश्र, डा. रामकृष्ण लाल 'जगमग', हरिशंकर सफरीवाला को उनके योगदान के लिये वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम प्रकाश शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया।

डा. रामकृष्ण लाल 'जगमग' के संयोजन में आयोजित कवि सम्मेलन में डा. राजेन्द्र सिंह 'राही' सुशील सिंह पथिक, दीपक सिंह प्रेमी, अजीत श्रीवास्तव 'राज' तौव्वाब अली, परमात्मा प्रसाद निर्दोष, संजीव पाण्डेय, आदि ने देश प्रेम की रचनाएं प्रस्तुत करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप स सामईन फारूकी, गिरिश चन्द्र मिश्र, दीनानाथ यादव, सुधांशु बरनवाल, अजीत पाण्डेय, सदानन्द शर्मा, महेश भट्ट, राजकुमार श्रीवास्तव, विनोद कुमार भट्ट, कौशल किशोर, डा. अजीत पाण्डेय, प्रीती शर्मा, साध्वी पाण्डेय, अनुराधा शुक्ला के साथ ही अनेक लोग मौजूद रहे।

हत्या के प्रयास में नामजद आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता–गोरखपुर। बड़हलगंज थाना क्षेत्र के बैरियाडीह गांव स्थित राजेंद्र तिराहा से पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में नामजद आरोपी गारद निषाद पुत्र राजेंद्र निषाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। कोतवाल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बैरियाडीह के विशाल गुप्ता ने पूर्व में दर्ज मुकदमे को लेकर हुए विवाद के संबंध में तहरीर दी थी। आरोप है कि अभिषेक निषाद, दिवाकर निषाद, गारद निषाद, रामशरण निषाद और रमेश निषाद ने विशाल गुप्ता को जान से मारने की नीयत से कट्टा और रॉड लेकर हमला कर घायल कर दिया। सिर में चोट लगने के कारण विशाल गुप्ता बेहोश होकर गिर गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी गारद निषाद के खिलाफ वर्ष 2023 और 2024 में भी बड़हलगंज कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी है।

सांप ने चार वर्षीय मासूम को डसा, रास्ते में मौत

संवाददाता–गोरखपुर। कैम्पियरगंज क्षेत्र के अलीगढ़ गांव में शुक्रवार को सर्पदंश से चार वर्षीय मासूम की मौत हो गई। अलीगढ़ गांव निवासी उमेश का चार वर्षीय पुत्र युवराज शुक्रवार को घर में खेल रहा था। इसी दौरान वह कमरे में रखे बक्से के पास पहुंच गया। परिजनों के मुताबिक, बक्से के नीचे युवराज के पहुंचते ही वहां मौजूद सांप ने उसे डंस लिया। परिजन तत्काल बच्चे को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुए। रास्ते मेंउसकी हालत बिगड़ती चली गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत से परिवार में चीख–पुकार मच गई। वहीं घटना की जानकारी के बाद गांव में भी शोक का माहौल है।

तेज रफ्तार ट्रेलर ने मां–बेटे को कुचला, दोनों की मौत

संवाददाता–गोरखपुर। जिले के दोहरीघाट–आजमगढ़ मार्ग पर शुक्रवार को तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार मां–बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा दोहरीघाट थाना क्षेत्र के रामनगर पुलिस बूथ के पास सुबह करीब 11 बजे हुआ। दुर्घटना के बाद चालक ट्रेलर को कुछ दूर खड़ा कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर बिना परिजन के दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के बेलवा गांव निवासी बिंदु देवी (42) पत्नी राजकुमार अपने 16 वर्षीय पुत्र सूरज यादव के साथ बाइक से आजमगढ़ दवा लेने जा रही थीं। दोनों रामनगर पुलिस बूथ के पास पहुंचे ही थे कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मां–बेटे बाइक समेत ट्रेलर के नीचे आ गए। चालक ट्रेलर रोकने के बजाय दोनों को कुचलते हुए कुछ दूर तक चला गया। जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन–फानन में में परिजनों के बगैर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ट्रेलर को भी कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजन मौके पर पहुंच गए और ट्रेलर चालक के खिलाफ तहरीर दी।

दोहरीघाट थानाध्यक्ष रामायण सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान बड़हलगंज के बेलवा गांव निवासी मां–बेटे के रूप में हुई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

नियमित मानदेय की मांग को लेकर पशुमित्रों ने दिया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। ऑल प्राइवेट पशुमित्र मैत्री कार्यकर्ता सेवा समिति संघ उत्तर प्रदेश ने शुक्रवार को नियमित मानदेय की स्वीकृति की मांग को लेकर जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। संगठन के जिलाध्यक्ष अमरेश मिश्रा ने ज्ञापन देने के बाद कहा कि यदि 5 सितंबर तक उनकी मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश के पशुमित्र 7 सितंबर से लखनऊ स्थित जीपीओ पार्क में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के लिए बाध्य होंगे।

संगठन की ओर से जिलाधिकारी बस्ती के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पैरावेट पशुमित्र लंबे समय से नियमित मानदेय की मांग को लेकर संघर्षरत हैं। पत्र के अनुसार 14 जुलाई 2025 को नियमित मानदेय के संबंध में आश्वासन दिया गया था तथा कार्यवृत्ति में भी नियमित मानदेय के लिए निर्देश दिए गए थे।

संगठन का कहना है कि इसके बाद पशुपालन निदेशक प्रशासन एवं विकास द्वारा प्रदेश में कार्यरत पैरावेट पशुमित्र लेमिनेशन सेंटर एवं मैत्री को नियमित मानदेय का प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। संबंधित प्रस्ताव 13 जनवरी 2026 को शासन को भेजा गया, लेकिन अभी तक उस पर अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया है।

संगठन के अनुसार कई बार शासन–प्रशासन को प्रार्थना–पत्र दिए जाने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से पशुमित्रों में असंतोष बढ़ रहा है। इसी क्रम में 5 अगस्त 2026 को पशु निदेशालय पर पदयात्रा एवं भूख हड़ताल का कार्यक्रम किया गया था। इसके बाद एक माह के भीतर नियमित मानदेय की स्वीकृति का आश्वासन मिलने पर आंदोलन समाप्त किया गया था। ज्ञापन देने वालों में संगठन के जिला उपाध्यक्ष शैलेन्द्र बहादुर राव, जिला महामंत्री प्रदीप शुक्ला, जिला संगठन मंत्री दया शंकर उपाध्याय, जिला कोषाध्यक्ष कमलेश यादव, जिला महासचिव उमेश कुमार शुक्ल, जिला मंत्री स्मित मवेशिया, जिला मीडिया प्रभारी राजेश शुक्ल, संगठन सलाहकार अजीत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप लाल, दया शंकर तिवारी, अमित कुमार, राजमन यादव, सचिन श्रीवास्तव, रघुवीर तिवारी एवं जितेन्द्र पाण्डेय सहित संगठन से जुड़े अन्य कार्यकर्ताओं ने भी मांगों के समर्थन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई।

संगठन ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए नियमित मानदेय की मांग पर शीघ्र उचित निर्णय लेने की अपील की है, ताकि प्रदेश के पैरावेट पशुमित्र लेमिनेशन सेंटर एवं मैत्री को न्याय मिल सके और प्रस्तावित आंदोलन को टाला जा सके।

एसपी ने जवानों संग दौड़ लगाई

संवाददाता–संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने शुक्रवार को खलीलाबाद स्थित रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों के टर्नआउट, वर्दी, अनुशासन, ड्रिल और शारीरिक दक्षता का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने जवानों को साफ–सुथरी वर्दी पहनने, अनुशासित कार्यशैली अपनाने और आमजन के साथ विनम्र व्यवहार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुशासन, शारीरिक दक्षता, कार्यकुशलता और बेहतर व्यवहार पुलिस की पहचान हैं। परेड के बाद एसपी मीना ने स्वयं पुलिसकर्मियों के साथ दौड़ लगाई, जिससे उनका उत्साह बढ़ा। उन्होंने नियमित व्यायाम और फिटनेस के महत्व पर बल देते हुए जवानों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ तथा ड्यूटी के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने टोलीवार ड्रिल अभ्यास के दौरान समन्वय और एकरूपता बनाए रखने पर भी जोर दिया। इसके उपरांत, पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने मेस, गणना कार्यालय, शस्त्रागार, डायल–112 कार्यालय, यातायात कार्यालय और आर्मी बैरक सहित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ–सफाई, अभिलेखों के रख–रखाव और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। आदेश कक्ष में गार्ड रजिस्टरों का अवलोकन करते हुए एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए।

रिश्वत में पकड़े लेखपाल के समर्थन में धरने पर बैठे लेखपाल

संवाददाता–गोरखपुर। रिश्वत मामले में पकड़े गए लेखपाल उत्कर्ष दीप के समर्थन में शुक्रवार को जिलेभर के लेखपालों ने सदर तहसील परिसर में धरना दिया। उत्कर्ष दीप सोहावल तहसील के कैल पारा गांव में लेखपाल के पद पर तैनात थे। लेखपाल संघ ने आरोप लगाया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। संघ का दावा है कि फाइल में जबरदस्ती रुपये रखकर लेखपाल को दिए गए। संघ ने उत्कर्ष दीप के खिलाफ कार्रवाई वापस लेने और उन्हें ससम्मान सेवा में बहाल करने की मांग की। साथ ही जिले में लेखपालों के खिलाफ की गई अन्य कार्रवाई भी समाप्त करने की मांग उठाई।

लेखपालों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। गुरुवार को एंटी करप्शन टीम ने जमीन की पैमाइश के नाम पर 10 हजार रुपये रिश्वत लेते उत्कर्ष दीप को रंगे हाथ पकड़ा था।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश (आर्डर 9 कायदा 9) (2)

अदालत–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती

प्रकीर्णवाद संख्या–20 / 2025

कृष्णचन्द्र पाण्डेय (मृतक) आदि

बनाम

चन्द्रशेषर पाण्डेय (मृतक) आदि

1– चन्द्रशेषर पाण्डेय मृतक पुत्र परमानन्द पाण्डेय 1 / 1– संजय उम्र करीब 30 साल पुत्र चन्द्रशेषर पाण्डेय 1 / 2– सौमिला पत्नी चन्द्रशेषर 2. विनोद कुमार पाण्डेय उम्र करीब 41 साल 3– विनय कुमार पाण्डेय उम्र करीब 35 साल 4– विजय कुमार पाण्डेय उम्र करीब 35 साल पुत्रगण चन्द्रशेषर पाण्डेय निवासी ग्राम बनकटिया तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम तहसील रूधौली जिला बस्ती –प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग 5– कमलेश कुमार पाण्डेय उम्र करीब 42 साल 6– अनमोल पाण्डेय उम्र करीब 34 साल पुत्रगण कृष्ण चन्द्र पाण्डेय 7– मालती पाण्डेय उम्र करीब 82 लाल पत्नी कृष्णचन्द्र पाण्डेय 8– पूनम पाण्डेय उम्र करीब 45 लाल पुत्री कृष्णचन्द्र पाण्डेय पत्नी संजय पाण्डेय साकिन आहर तप्पा कोठिला परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती 9– नीलम दूवे उम्र 33 साल पुत्री कृष्णचन्द्र पाण्डेय पत्नी दिलीप दूवे ग्राम खोरिया रघुवीर सिंह पोस्ट पथरा बाजार तहसील बांसी जिला सिद्धार्थानगर

–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 22–08–2026

हरगाह मुद्दई मजकूरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 22 माह 08 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तिरंगा यात्रा, अटेवा के आह्वान पर कर्मचारियों ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया

संवाददाता–अम्बेडकरनगर। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अटेवा (ऑल टीचर्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन) के आह्वान पर शुक्रवार को प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में अंबेडकरनगर में भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।

अंबेडकरनगर में यह यात्रा ब्लॉक परिसर अकबरपुर से कलेक्ट्रेट स्थित बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल तक निकाली गई। जिले के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने इस यात्रा में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।

कर्मचारियों ने श्एक देश में एक विधानश की मांग करते हुए कहा कि जब सांसद, विधायक और न्यायालय के न्यायाधीशों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है, तो अर्धसैनिक बलों, शिक्षकों, सफाई कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है। कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) और उत्तर प्रदेश पेंशन योजना (यूपीएस) को लेकर भी असंतोष व्यक्त किया।

अटेवा के प्रदेशीय मंत्री संजय उपाध्याय ने कहा कि निजीकरण पूंजीपतियों द्वारा गरीबों के साथ किया जाने वाला एक षड्यंत्र है। उन्होंने आशंका जताई कि इससे गरीब और प्रतिभाशाली लोग देश सेवा से दूर हो सकते हैं।

प्रदेश सलाहकार राकेश रमन ने जोर देकर कहा कि यदि एनपीएस और यूपीएस इतनी ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो सांसद, विधायक और न्यायाधीश भी इन्हें स्वीकार करें। उन्होंने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प दिए जाने की मांग की।

मंडल अध्यक्ष संदीप पटेल ने कहा कि एनपीएस और यूपीएस में बार–बार संशोधन करने के बजाय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी पसंद के अनुसार व्यवस्था चुन सकें। उन्होंने यह भी बताया कि एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त पेंशन नहीं मिल रही है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद उनका जीवन कठिन हो रहा है। पूरी तिरंगा यात्रा का नेतृत्व जिला संयोजक राम बली त्रिशरण ने किया। इस दौरान अटेवा के पदाधिकारी और विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल किए जाने तक अपना आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया।

पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का मोर्चा

संवाददाता–संतकबीरनगर। पत्रकारों के उत्पीड़न, अभद्रता और उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने कड़ा रुख अपनाया है। क्लब ने 21 अगस्त 2026 को पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

ज्ञापन में दो प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है। पहली घटना 3 अगस्त 2026 को हुई, पत्रकार को मनरेगा कार्य से संबंधित खबर चलाने के बाद फोन करके बुलाया गया। विकास चौधरी, अभिषेक चौधरी और शेषनाथ यादव सहित अन्य लोगों ने उन्हें बीच चौराहे पर लात–घूंसों और डंडों से बुरी तरह पीटा।

इस दौरान पीड़ित का मोबाइल भी छीन लिया गया। आरोप है कि पुलिस चौकी में भी अनिरुद्ध अग्रहरि के साथ मारपीट की गई। दूसरी घटना 14 अगस्त 2026 की है। पत्रकार विवेकानंद कोतवाली थाने में समाचार संकलन के लिए गए थे। वहां एक मारपीट के मामले का वीडियो बनाते समय पुलिसकर्मियों ने उनका मोबाइल छीन लिया, वीडियो डिलीट कर दिया और उनके साथ अभद्रता करते हुए उन्हें लॉकअप में बैठा दिया।

जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने इन दोनों घटनाओं की कड़ी निंदा की है। क्लब ने मांग की है कि घटनास्थलों, विशेषकर स्वीट हाउस और कोतवाली पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की निष्पक्ष जांच कराई जाए और नियमानुसार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन सौंपते समय जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष शक्ति श्रीवास्तव बाबुल, कार्यवाहक अध्यक्ष अमित अग्रहरि, महासचिव मिथलेश धुरिया सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।

अदालती नोटिस

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) महोदय सिद्धार्थनगर स्थान द्वारा निकाली गयी उद्घोषणा

प्रकीर्ण उत्तराधिकार वाद संख्या 264 / 2026

1–पिंकी देवी उम्र करीब 37 वर्ष पत्नी स्व० अवधबिहारी दूबे 2–पलक अवधबिहारी दूबे उम्र करीब 20 वर्ष पुत्री स्व० अवधबिहारी दूबे 3–जर्नादन दूबे उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र स्व० अवधबिहारी दूबे 4–महेक देवी उम्र करीब 17 वर्ष 5–आराध्या देवी उम्र करीब 16 वर्ष नाबालिगान पुत्रीगण स्व० अवधबिहारी दूबे जरिए वादमित्र संरक्षिका पिंकी देवी माता स्वयं समस्त निवासी ग्राम–पिकौरा, तप्पा–भानपुर, परगना रसूलपुर, तहसील–डुमरियागंज, जिला–सिद्धार्थनगर

...आवेदकगण

बनाम

इस्टेट ऑफ मृतक अवधबिहारी दूबे

तारीख पेशी– 20.09.2026

प्रा0 पत्र अन्तर्गत दफा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

अपने पति / पत्नी मृतक अवधबिहारी दूबे को देय ऋण और प्रतिभूतियों को वसूल करने के लिये प्रमाण पत्र की अभिप्राप्ति के लिये सन 1886 ई0 के अधिनियम 7 के अधीन उत्तराधिकार का आवेदन के लिये।

चूंकि ने प्रमाण पत्र को अभिप्राप्ति के लिये आवेदन दिया है और सन 2026 के 09 के 20 दिवस आवेदन को सुनवाई के लिये नियत हुआ है। अतः यह उदघोषणा निकाली जाती है कि जिस किसी को उक्त आवेदन के सम्बन्ध में आपत्ति हो वह स्वयं या अभिवक्ता द्वारा ..10 बजे पूर्वान्ह न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) महोदय सिद्धार्थनगर में नियत दिनांक पर उप संजात होकर अपनी आपत्ति पेश करें। उक्त दिनांक के अवसान पर फिर किसी की आपत्ति न सुनी जायेगी और आवेदन के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित होगा। 2026 के 08 के 20 दिवस को दिनांकित।

द0 हाकिम

दैनिक
भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com